रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12]	दिल्ली, सोमवार, जनवरी 16, 2017/पौष 26, 1938	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 310
No. 12]	DELHI, MONDAY, JANUARY 16, 2017/PAUSA 26, 1938	[N.C.T.D. No. 310

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

समाज कल्याण/महिला एवं बाल विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 12 जनवरी, 2017

सं.फा.18(7)/2009/डीडब्ल्यूसीडी/स्था0/32833–32843.––गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. 27/59–एच आई एम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग से पूर्व परामर्श के पश्चात् तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 2(25)/66/S-II दिनांक 02.03.1970; एफ. 2(25)/66/S-II; दिनांक 17.03.1975; एफ. 21(14)/76-डीएसडब्ल्यू/स्था./3166 दिनांक 18.01.1988, एफ. 21(14)/76-डीएसडब्ल्यू/स्था./17812 दिनांक 05.04.1990 एवं एफ. 21(14)/76-डीएसडब्ल्यू/स्था./10090 दिनांक 28.03.2000 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किये गये या किये जाने के लिये हटाई गई बातो के संबंध को छोडकर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, समाज कल्याण/महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में कल्याण अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी/बंदी गृह कल्याण अधिकारी के पद के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.**–(1) इन नियमों को कल्याण अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी/बंदी गृह कल्याण अधिकारी, समाज कल्याण/महिला एवं बाल विकास विभाग भर्ती नियमावली, 2016 कहा जाए।

   (2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान .**–उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, वर्गीकरण इत्यादि.**–उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता.**—ऐसा कोई भी व्यक्ति

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्त का पात्र नहीं होगाः

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. **बचाव.**—इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	**कल्याण अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी/बंदी गृह कल्याण अधिकारी**
2.	**पदों की संख्या**	:	228 (दो सौ अट्ठाईस) *(2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	**वेतनमान**	:	पे बैंड—2 9300—34800+ग्रेड पे 4200/—रुपये (पूर्व संशोधित)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद**	:	चयन
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय) आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि है ताकि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालेंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीजन व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्ष्यदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएॅं**	:	**अनिवार्यः—** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से समाज कार्य निष्णात या कला निष्णात (समाज विज्ञान) या अपराध विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि **वांछनीय :** (1) नियमित भुगतान आधार पर किसी सरकारी विभाग/मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन में समाज कार्य के क्षेत्र में एक वर्षीय का व्यवहारिक अनुभव।

			(2) सैंकेडरी स्तर पर विषय के रूप में हिन्दी में उत्तीर्ण। **टीप :1** अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है। **टीप : 2** यदि चयन की किसी अवस्था में समक्ष प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए अनुभव संबंधी योग्यताएं समक्ष प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	आयुः नहीं **शैक्षिक योग्यताः** नहीं, लेकिन किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम से कम स्नातक उपाधि धारक हो।
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों तथा पदोन्नति वालों के लिये दो वर्ष
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	15 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति, अल्पकालिक संविदा सहित। 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
11.	**यदि पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति /समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है**	:	**पदोन्नतिः–** मूल संवर्ग/विभाग मे पीबी–1 में रुपये 5200–20200 + ग्रेड पे रुपये 2400 के वेतनमान में संबंधित ग्रेड में दस वर्ष की नियमित सेवा तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम से कम स्नातक की उपाधि धारक हाउस फादर/हाउस मदर/मैट्रन/सहायक बोर्डिंग अधीक्षक और बेसिक टीचर। पदोन्नति, पद के कर्तव्यों/उत्तरदायित्वों के क्षेत्र में यूटीसीएस एवं एनआईपीसीसीडी से विभाग द्वारा यथानिर्धारित और प्रायोजित कम से कम दो सप्ताह का प्रशिक्षण पूर्ण करने पर होगी। बशर्तें कि जिन व्यक्तियों ने विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि से पूर्व पदोन्नति के लिये प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया है वे भी विचारणीय होंगे। बशर्तें कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि के एक वर्ष के भीतर उन्हें अपेक्षित प्रशिक्षण पूर्ण करना होगा। यद्यपि जो व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं वे पदोन्नति के लिये ऐसे प्रशिक्षण को पूर्ण करने से छूट के लिये विचारणीय होंगे। **टीप :** जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्तें कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के

			लिए अपनी परीवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। **टीप** : पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणन के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :–** केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/ अर्धसरकारी अथवा स्वायत्त निकायों/सांविधिक संगठनों के निम्नलिखित अधिकारी:– क. (1) मूल संवर्ग/विभाग मे नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (2) पे बैंड–1 में 5200–20200/–रु.+ग्रेड पे 2400/–रुपये सहित नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में दस वर्ष की सेवा सहित या मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएँ एवं अनुभव रखने वाले (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से समाज कार्य निष्णात या कला निष्णात (समाज विज्ञान) या अपराध विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि (2) नियमित भुगतान आधार पर किसी सरकारी विभाग/मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन में समाज कार्य के क्षेत्र में दो वर्ष का व्यवहारिक अनुभव। (3) सैंकेडरी स्तर पर विषय के रूप में हिन्दी में उत्तीर्ण। (भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृखंला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे)। प्रतिनियुक्ति, अल्पकालिक संविदा सहित की अवधि इसमें उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग ने इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है । सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी। **टीप** : प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू

			सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। जहां पर पूर्व संशोधित एक से अधिक वेतनमानों का विलय साझे ग्रेड/वेतनमान सहित एक ग्रेड में किया जा चुका है, और जहां ये लाभ उस/उन पद/पदों के लिये ही विस्तारित हैं जिसके लिये यह ग्रेड पे/वेतनमान किसी प्रकार के अपग्रेडशन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) ग्रेड है।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	ग्रुप 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचारार्थ) 1. सचिव/प्रधान सचिव, समाज कल्याण/महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – **अध्यक्ष** 2. निदेशक समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार –**सदस्य** 3. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार– सदस्य 4. उप–सचिव (सेवाएं), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सदस्य **2. ग्रुप 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण हेतु)** 1. निदेशक, समाज कल्याण/महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – अध्यक्ष 2. विशेष निदेशक/अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक (प्रशासन) – सदस्य 3. जिलाधिकारी, समाज कल्याण/महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य
13.	**वे परिस्थितियों जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

दिलराज कौर, सचिव

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE/WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 12th January, 2017

No.F.18(7)/2009/DWCD/Estt./ 32833-43.– In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs' Notification No. F-27/59-Him.(i), dated the 13th July, 1959, and in supersession of the Government of National Capital Territory of Delhi, Department of Social Welfare's Notifications No.F.2(25)/66/S-II dated 02.03.1970; F.2(25)/66/S-II; F2(64)/73-S-II dated 17.03.1975; F.21(14)/76-DSW/Estt./3166 dated 18.01.1988, F.21(14)/76-DSW/Estt./17812 dated 05.04.1990 and F. 21(14)/76-DSW/Estt./10090 dated 28.03.2000, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi after prior consultation with the Union Public Service Commission, is pleased to make Recruitment Rules for the post of **Welfare Officer/Probation Officer/Prison Welfare Officers** in the Department of Social Welfare/Women and Child Development, Government of National Capital Territory of Delhi, as following, namely :-

Short title and commencement –(1) These rules may be called the Department of Social Welfare/Women and Child Development, Welfare Officer/Probation Officer/Prison Welfare Officers Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay – The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification, etc. – The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications –No person,-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax –Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class of category of persons.

6. Saving –Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band & Grade Pay/ Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for Direct Recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Welfare Officer/ Probation Officer/ Prison Welfare Officer	228* (Two Hundred Twenty Eight) *(2016) subject to variation dependent on work- load	GCS Group B Non-Gazetted, Non-Ministerial	PB-2 , Rs.9300-34800 (Grade Pay Rs.4200/-) (Pre Revised)	Selection	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and Pangi sub division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational & other qualifications required for direct recruits	Whether age & educational	Period of probation, if	Method of recruitment: Whether By direct

	Qualifications prescribed for direct Recruits will apply in the case of Promotees	any	recruitment or by promotion or by deputation/absorption and % of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (1) Master's Degree in Social Work, or Master's of Art (Sociology) or Post Graduate Degree in Criminology from a recognized University/Institute. **Desirable:-** (I) One year''s practical experience in the field of Social Work in any Government Department/Recognized Voluntary Organization in a regular paid capacity. (II) Pass in Hindi as a subject of Secondary level. **Note1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Competent authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Age-No Educational Qualification: No, but must possess at least a Bachelor's Degree from a recognized University/Institute.	Two year for direct recruits and Promotees	15% by Promotion failing which by Deputation including short-term contract, 85% by Direct Recruitment

In case of recruitment by promotion/ Deputation/Absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made;	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion ; House Father/ House Mother/ Matron/ Asstt. Boarding Supdt. and Basic Teachers in PB-I Scale of Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2400/- with ten years regular service in the respective grades and possessing at least Bachelor's Degree from Recognized University/Institute. Promotion shall be subject to completion of at least 2 weeks training as prescribed and sponsored by the Department from UTCS & NIPCCD in the field of duties/responsibilities of the post', as part of successful completion of probation. Provided that those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of DPC will also be considered subject to the condition that the required training will be completed within one year of the date of meeting of DPC. However, those persons who are due to retire within two years, will be considered for exemption from completion of such training for promotion. **NOTE 1 :** Where juniors who have completed their	Group 'B' **Departmental Promotion Committee** (For considering Promotion;) 1. Secretary/Principal Secretary, Dept. of Social Welfare/Women & Child Dev., Govt. of NCT of Delhi- **Chairman** 2. Director, Deptt. of Social Welfare, GNCT of Delhi – **Member** 3. Director, Deptt. of Women & Child Development, GNCT of Delhi **- Member** 4. Deputy Secretary (Services), Govt. of NCT of Delhi - **Member** Group 'B' **Departmental Confirmation Committee**	Not applicable

qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of the such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their Probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service**.** **NOTE 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/ the date from which the Revised Pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay/Pay Scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. **DEPUTATION** (including short term contract): Officers under Central Govt./ State Govt./U.T. Administrations/ Public Sector Undertaking/ Universities/ Recognized Research Institutions/ Semi Govt. or Autonomous Bodies/Statutory Organization's: **(A)** (I) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/Department; OR (II) With six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in PB-I Rs. 5200-20200/- with GP of Rs. 2800/- OR equivalent in the parent cadre or Department; (III) With ten years service in the Grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in PB-I Rs. 5200-20200/- with GP of Rs. 2400/- or equivalent in the parent cadre or Department; and **(B)** Possessing the following educational qualifications and experience: (I) Masters Degree in Social Work or Master's of Art (Sociology) or Post Graduate Degree in Criminology from a recognized University/ Institute; (II) Two years practical experience in the field of Social Work in any Government Department/Recognized Voluntary Organization in a regular paid capacity; and (III) Pass in Hindi as a subject of Secondary level. **NOTE 1:** The Departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by Promotion. (Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/Department of the Central Govt. shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications) **NOTE 2:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an Officer prior to 1.1.2006 (The date from which the Revised Pay Structure based on the 6th CPC recommendation has been extended)shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade Pay/Pay Scale extended based on the recommendations of the Pay	(For considering confirmation); 1. Director of Social Welfare/Women & Child Dev. GNCTD - **Chairman** 2. Special Director/Additional Director/Joint Director (Admn.) **- Member** 3. District Officers of the Deptt. of Social Welfare/ Women & Child Welfare - **Member**	

Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scales of pay into one grade with a common grade pay/pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Grade Pay /Pay Scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

By Order and in the Name of the Lt. Governor of Delhi
National Capital Territory of Delhi

DILRAJ KAUR, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.01.17 12:40:03 +05'30'